

अध्याय -III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षेत्र 3)

अध्याय- III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 परिचय

3.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति

राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं तीन (03) सांविधिक निगम हैं। सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे 3) ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹5,103.24 करोड़ का कारोबार किया (*परिशिष्ट 3.1.1*)। राज्य के सा क्षे 3 की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2014 को 25 सा क्षे 3 थे, जिनका विवरण तालिका 3.1.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1.1

सा क्षे 3 के प्रकार	कार्यरत सा क्षे 3	अकार्यरत सा क्षे 3 ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	18 ³	04 ⁴	22
सांविधिक निगम	03 ⁵	-	03
योग	21	04	25

इनमें से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी।

3.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-बी के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मान्य सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के

¹ अकार्यरत सा क्षे 3 वे हैं जिनकी प्रचालन गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं।

² 619-बी कम्पनी शामिल हैं।

³ उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लि. (कम्पनी) वर्ष 2006-07 के दौरान सोसाइटी अधिनियम 1860 के अनुसार उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड बन गयी है। जैसा कि उनके पत्र सं. 282 दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा सूचित किया गया है। इसलिए इसे इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इसके सिवाय एक कम्पनी (उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लि.) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार दिसम्बर, 2010 में स्थापित हुई है। चूंकि कम्पनी के प्रथम लेखे 2013-14 में प्राप्त हुये हैं, इसलिए कम्पनी को वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

⁴ कुम्द्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

⁵ उत्तराखण्ड वन विकास निगम को एक सांविधिक निगम के रूप में प्रथम बार वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उसके अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर उसकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी।

अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य के तीन सांविधिक निगम हैं। दो सांविधिक निगमों, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम, के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा शुरू में नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश

31 मार्च 2014 को 25 सा क्षे उ (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) में राज्य सरकार का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 7,566.36 करोड़ था जिसका विवरण तालिका 3.1.2 में दिया गया है।

तालिका 3.1.2

(₹ करोड़ में)


निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल योग
	कार्यरत कम्पनियाँ	अकार्यरत कम्पनियाँ		
पूँजी	2,506.60	0.38	2,129.80	4,636.78
दीर्घावधि ऋण	2,767.41	--	162.16	2,929.57
योग	5,274.01	0.38	2,291.96	7,566.35

राज्य सा क्षे उ में सरकारी निवेश के विवरण का सारांश परिशिष्ट 3.1.2 में दिया गया है।

कुल निवेश वर्ष 2009-10 के ₹ 5,783.88 करोड़ से 30.82 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 7,566.35 करोड़ हो गया था जो निम्नांकित चार्ट 1 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1

(₹ करोड़ में)



31 मार्च 2010 एवं 31 मार्च 2014 के अन्त में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दृष्टि दोनों से विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश निम्नांकित बार चार्ट 2 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश के सापेक्ष खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2013-14 के दौरान, निवेश का मुख्य प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र (63.91 प्रतिशत) में ही होना जारी रहा। वहीं राज्य के अन्य⁶ क्षेत्रों के निवेश में भी वृद्धि हुई।

3.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

राज्य के सा क्षेत्र 3 से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारंटी हेतु बजट से बहिर्गमन क्रम का विवरण परिशिष्ट 3.1.3 में दिया गया है। 31 मार्च 2014 को समाप्त तीन वर्षों का सारांशित स्थिति तालिका 3.1.3 में नीचे दी गयी है।

तालिका 3.1.3

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजी	4	44.00	2	460.02	4	259.91
2.	ऋण	5	458.02	3	252.90	6	190.07
3.	अनुदान/उपदान	5	76.23	5	83.22	4	69.71
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	10	578.25	7	796.14	8 ⁷	519.69
5.	जारी की गई गारंटियाँ	1	1.35	1	1.51	1	1.54
6.	गारंटी वचनबद्धता	5	1,110.90	4	1,062.93	4	906.66

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन के क्रम का पिछले पाँच वर्षों का विवरण चार्ट 3 में दिया गया है:

⁶ कृषि एवं समवर्गी, विनिर्माण, सेवाएं एवं विविध।

⁷ उन कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिन्हें, इक्विटी/ऋणों/उपदान के रूप में बजटीय सहायता उन वर्षों में प्राप्त हुई है।

चार्ट 3



राज्य की सा क्षेत्र 3 को राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन, वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 129.57 करोड़ से बढ़कर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शा रहा था और 2013-14 में बढ़कर ₹ 519.69 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में गारंटी वचनबद्धता की राशि ₹ 1,062.93 करोड़ (चार सा क्षेत्र 3) की थी जो 31 मार्च 2014 को घटकर ₹ 906.66 करोड़ (चार सा क्षेत्र 3) हो गई जैसा कि परिशिष्ट 3.1.3 में दिया गया है।

राज्य सरकार सभी सा क्षेत्र 3 से एक प्रतिशत की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षेत्र 3 से एक प्रतिशत अतिरिक्त की दर से गारंटी शुल्क भारित करती है। तथापि वर्ष 2013-14 में केवल एक सा क्षेत्र 3 (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने ₹ 7.17 करोड़ गारंटी शुल्क, जो वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित था, का भुगतान किया था। दूसरे सा क्षेत्र 3 का मार्च 2014 तक का ₹ 14.87 करोड़⁸ गारंटी शुल्क राज्य सरकार को देय था।

3.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षेत्र 3 के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलाने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षेत्र 3 एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को इनकी स्थिति तालिका 3.1.4 में दी गई है:

तालिका 3.1.4

(₹ करोड़ में)

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षेत्र 3 के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	2,642.72	4,609.09 ⁹	1,966.37
ऋण	227.07	971.25	744.18
गारंटियाँ	902.06	906.66	4.60

⁸ यू जे वी एन एल (₹ 6.19 करोड़)+यू पी सी एल (₹ 5.55 करोड़)+पी टी सी यू एल (₹ 3.13) करोड़)=₹ 14.87 करोड़।

⁹ इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम को दी गयी ₹ 2,050.06 करोड़ पूँजी अनुदान भी शामिल है जो वित्त लेखे में शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 08 सा क्षे 3 के संबंध में आँकड़ों में अन्तर पाया गया और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों, सा क्षे 3 और वित्त विभाग को प्रत्येक त्रैमासिक में अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करनी थी।

3.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे 3) का कार्य निष्पादन

21 कार्यरत सा क्षे 3/सांविधिक निगमों, जिनके लेखें 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त हुए थे, में से दस सा क्षे 3 ने ₹ 99.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 11 सा क्षे 3 को ₹ 141.50 करोड़ की हानि हुई। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 12.58 करोड़) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) लाभ¹⁰ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षे 3 थे। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 15.75 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 35.13 करोड़) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 17.44 करोड़) हानि¹¹ उठाने वाले मुख्य सा क्षे 3 थे। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के लेखें सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत हो चुके हैं उनके सारांशीकृत वित्तीय परिणाम, जिसमें कुल लाभ/हानि, कारोबार, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि हैं; परिशिष्ट 3.1.1 में दिया गया है।

31 मार्च 2014 को समाप्त नि म ले प की पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षे 3 ने ₹ 491.83 करोड़ का ऐसा व्यय किया जो नियंत्रित किया/बचाया जा सकता था, ₹ 486.84 करोड़ का व्यय वसूली योग्य नहीं था और ₹ 23.85 करोड़ का व्यय अलाभकारी था जो बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण जो सा क्षे 3 की नमूना जांच पर आधारित है तालिका 3.1.5 में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
व्यय जो वसूली योग्य नहीं है	10.78	2.28	473.78	486.84
नियंत्रित होने/बचाया जा सकने वाला व्यय	175.46	116.42	199.95	491.83
अलाभकारी निवेश	10.63	10.83	2.39	23.85
योग	196.87	129.53	676.12	1,002.52

राज्य सरकार ने सा क्षे 3 के लिए लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षे 3 के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार दस सा क्षे 3 ने ₹ 99.05 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

3.1.7 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखें को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं

¹⁰ वर्ष के दौरान के लेखों का अनुसार उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2013-14) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2010-11)।

¹¹ वर्ष के दौरान के लेखों का अनुसार डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2012-13) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2012-13) एवं उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13) के वर्ष के दौरान के लेखे।

विधायिका को प्रस्तुत करना उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षेत्र 3 के संबंधित वर्ष के 30 सितम्बर तक के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण तालिका 3.1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1.6

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 ¹²
1.	कार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या	20	20	20	20	21
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	28	15	10	16
3.	बकाया लेखों की संख्या	143	135	140	150	148 ¹³
4.	प्रत्येक सा क्षेत्र 3 के अनुसार औसत बकाया (3/1)	7.15	6.75	7	7.50	7.06
5.	कार्यरत सा क्षेत्र 3 जिनके लेखे बकाया हैं	20	19	20	20	20
6.	बकाए अवधि की सीमा	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष	1 से 26 वर्ष	1 से 27 वर्ष

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान राज्य सा क्षेत्र 3 लेखाओं को प्रतिवर्ष निपटाने में असफल रहे जिस कारण बकाये में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान लेखाओं के अंतिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 से 150 के बीच हो गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अक्रियाशील सा क्षेत्र 3 के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाने हेतु बकाया थे। चार अक्रियाशील सा क्षेत्र 3 में से एक उपक्रम, जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में था तथा शेष तीन अक्रियाशील सा क्षेत्र 3¹⁴ के लेखे 23 से 27 वर्षों से बकाया थे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ सा क्षेत्र 3 में ₹ 394.25 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटी: ₹ 66.28 करोड़, ऋण: ₹ 296.08 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 31.89 करोड़) जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा उनका विवरण परिशिष्ट 3.1.4 में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति और बाद में लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्य, जिसके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं या नहीं। इस कारण सरकारी निवेश, जो इन सा क्षेत्र 3 में किया गया है, राज्य विधायिका की जाँच से बाहर रहे।

लेखाओं के बकाया का प्रकरण क्रमशः मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन के संज्ञान में लाया गया (मई 2014) जिससे कि लेखाओं के बकाया का समयबद्ध तरीके से परिसमापन किया जा सके।

3.1.8 अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का परिसमापन

मार्च 2014 को चार अकार्यरत सा क्षेत्र 3 थे। इनमें से एक सा क्षेत्र 3 ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है। अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के बन्द होने के चरणों को तालिका 3.1.7 में दिया गया है:

¹² उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लि. के 12 लेखे जो एरियर में थे हटा दिये गये हैं और दो कम्पनी/कॉरपोरेशन (उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि. और उत्तराखण्ड वन विकास निगम) के पाँच लेखों को शामिल किया गया है।

¹³ 150 (प्रारम्भिक शेष) + 21 (नये लेखे वर्ष 2013-14 में) - 12 (चाय विकास निगम के हटाये गये लेखे) + 5 (नयी कम्पनियों के लेखे) - 16 (वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखे) = 148 (अन्तिम शेष)।

¹⁴ कुम्द्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड।

तालिका 3.1.7

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ
1.	कुल अकार्यरत सा क्षे 3 की संख्या	04 ¹⁵
2.	उक्त (1) में से निम्नलिखित के अंतर्गत संख्या	-
	(अ) न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01 ¹⁶
	(ब) स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-
	(स) बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 22 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी।

3.1.9 वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान नौ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 15 लेखापरीक्षित लेखों को को अग्रेषित किया। इसमें से 14 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा एक कम्पनी को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.1.8 में दिया गया है।

तालिका 3.1.8

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	26.04	4	108.47	5	28.07
2.	हानि में वृद्धि	6	234.81	4	86.07	2	16.96
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्धोषित न किया जाना	2	11.41	1	28.25	1	180.16

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दस लेखों के अर्हता प्रमाण पत्र¹⁷, तीन लेखों के प्रतिकूल प्रमाण पत्र तथा दो लेखों के प्रकरण में के अयोग्य प्रमाण पत्र दिये।

सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जिनकी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान की गयी, नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2013-14)

- ₹ 1.60 करोड़ की राशि के परित्यक्त परियोजना को पूंजीगत कार्य का रूप में प्रगति में दिखाना। (सी डब्ल्यू आई पी)
- भारतीय जीवन बीमा निगम के मूलधन तथा ऋण राशि पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के कारण ₹ 5.44 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया जाना।

¹⁵ कुम्हट्रॉन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टेज लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

¹⁶ कम्पनी, जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी।

¹⁷ सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दिया गया अर्हता प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि वित्तीय विवरण में कुछ अपवाद/अर्हता है जो सामान्य स्वीकृत लेखों के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करती है।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2012-13)

- यू पी सी एल द्वारा पी टी सी यू एल को ₹ 10.34 करोड़ प्रसारण व्यय का अत्यधिक भुगतान करना।
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ₹ 0.14 करोड़ के बकाया लाइसेन्स फीस के लिए प्रावधान न करना।

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2012-13)

- उत्तराखण्ड सरकार को देय ऋण राशि के एक प्रतिशत की दर से ₹ 4.16 करोड़ की गारंटी शुल्क के गैर-अदायगी हेतु दण्ड का प्रावधान नहीं किया जाना।
- ठेकेदार को दिए गए आठ वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम ₹ 2.88 करोड़, जिनकी वसूली संदिग्ध है, के लिए प्रावधान नहीं किया जाना।

3.1.10 आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। पाँच (05) कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर की गई टिप्पणियों का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1.9 में दिया गया है:

तालिका 3.1.9

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गई	परिशिष्ट-3.1.2 के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	02	A1 और A17
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र का अभाव	04	A1, A5, A13, और A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य हास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले यथोचित अभिलेख का रख रखाव न करना	03	A13, A17 और A18

यह दर्शाता है कि सा क्षेत्र 3 को बेहतर परिणामों के लिए, व्यवसाय की सा क्षेत्र 3 को बेहतर परिणामों के लिए, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार, सेवा निर्गत देयों के प्रावधान के लिए उचित प्रणाली, सामग्री प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी परिचय इत्यादि के अनुरूप अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.11 निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को इस वर्ष के प्रतिवेदन में एक सांविधिक निगम के रूप में प्रथम बार शामिल किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने इस निगम के अधिनियम में संशोधन कर इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक को सौंपी है। निगम के प्रथम लेखे 2009-10 (जुलाई 2014) में प्राप्त हुए जिनकी लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण की प्रक्रिया प्रगति में है। नि म ले द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतीकरण की स्थिति को नीचे तालिका 3.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1.10

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	29 नवम्बर 2012
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	20 जनवरी 2014
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	वर्ष 2008-09 के लेखे, जो राज्य सरकार की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित किये गये हैं, और जिसको राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण किया जाना बाकी है।		

3.1.12 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में शामिल वसूलियों, जो सा क्षे 3 के लेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आती हैं, को सा क्षे 3 राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा दोबारा जाँच के लिए प्रेषित किया जाता है और अधिभुगतान /अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में ₹ 20.87 करोड़ की वसूलियाँ विभिन्न सा क्षे 3 के प्रबन्धकों को इंगित गयी थी जो सा क्षे 3 द्वारा स्वीकार की गयी। इसके सापेक्ष, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5.34 करोड़ की वसूली की गयी थी।

3.1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों की अनुक्रिया

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में छः ड्राफ्ट प्रस्तरों सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उनका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। यद्यपि सम्बन्धित सा क्षे 3 के प्रबन्धकों द्वारा उत्तर दिये गये, राज्य सरकार द्वारा पाँच प्रस्तरों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

भारत के नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे खातों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण की शुरुआत के साथ प्रारम्भ हुई जाँच की प्रक्रिया का समापन है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धकर्ता से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

यद्यपि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः दिसम्बर 2012, सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2014 को प्रस्तुत किये गये, चार विभागों ने सभी 11 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की 30 सितम्बर 2014 तक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी, जो तालिका 3.1.11 में दिया गया है।

तालिका 3.1.11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	प्रस्तुतीकरण की तिथि	प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2010-11	दिसम्बर 2012	5	5
2011-12	सितम्बर 2013	3	3
2012-13	नवम्बर 2014	3	3
योग		11	11

विभागानुसार विश्लेषण जो तालिका 3.1.12 में भी दिया गया है।

तालिका 3.1.12

विभाग का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
ऊर्जा	2	2	2
अवस्थापना	-	1	-
पर्यटन	2	-	1
विनिर्माण	1	-	-
योग	05	03	03

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ऊर्जा विभाग ने सभी छः प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर द्वारा की गई संस्तुतियों पर कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत की जानी होती है। संपादित कोपू बैठकों की स्थिति, प्रस्तरों वास्तव में जिन पर चर्चा हुई और जो अन्तिमीकृत किये गए तथा कोपू प्रतिवेदन जो वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तक जारी हुए, को तालिका 3.1.13 में दिया गया है।

तालिका 3.1.13

अवधि	बैठकों की संख्या	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जो अन्तिमीकृत किये गये	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2010-11	05	06	06	-	-
2011-12	02	02	02	02	-
2012-13	-	-	-	-	-

जुलाई 2011 से कोई भी कोपू की बैठक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 34 प्रस्तर बहस के लिए बाकी थे, जिसमें सबसे पुराना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का था। 30 सितम्बर 2014 तक कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुआ था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिउत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपतियाँ जो उसी समय निस्तारित नहीं हो सकी, को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया था। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब साक्षे उ के विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार करवा कर एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना था। 30 सितम्बर 2014 तक 362 निरीक्षण

प्रतिवेदनों के 1694 प्रस्तर बाकी थे। 30 सितम्बर 2014 को बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों और विभागानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण **परिशिष्ट 3.1.5** में दिया गया है।

इसी प्रकार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह में उन पर टिप्पणी तथा दिये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रेषित किया जाता है। छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को जुलाई 2014 और सितम्बर 2014 के मध्य तीन विभागों को भेजा गया था। राज्य सरकार से एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर प्राप्त हुआ है पाँच प्रस्तरों के सापेक्ष राज्य सरकार का उत्तर अभी भी अपेक्षित है।

यह भी संस्तुति की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय सारणी के अनुसार कोपू की संस्तुतियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/ कृत कार्यवाही टिप्पणियों के प्रेषण (ब) निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत हानि/अदत अग्रिम/ अधिक भुगतान की वसूली एवं (स) लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रत्युत्तर की प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करे।

3.1.15 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षे 3 के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी है।

3.1.16 इस अध्याय की विषयवस्तु

इस अध्याय में छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को शामिल किया गया है जिनका वित्तीय प्रभार ₹ 134.80 करोड़ मुद्रा मूल्य है। राज्य सरकार द्वारा एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिसका ₹ 2.12 करोड़ है, का उत्तर प्राप्त हुआ है। लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

कृषि विभाग

3.2 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज का विपणन

₹ 19.95 लाख कुन्तल उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध सापेक्ष उत्पादकों से गेहूँ बीजों का वास्तविक अंतः ग्रहण केवल 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वितरक कमीशन को विक्रय एवं वितरण व्यय के स्थान पर क्रय मूल्य का भाग बनाने के कारण कम्पनी ने ₹ 0.73 करोड़ का अतिरिक्त डीलर कमीशन का भुगतान किया एवं कमीशन का भुगतान अधिक दर से करने के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 0.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया। दोषी वितरकों की अग्रिम जमा धनराशि जव्त न करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

3.2.1 परिचय

उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, पंतनगर (कम्पनी) उत्तराखण्ड सरकार के कृषि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी राज्य के भीतर और राज्य¹⁸ के बाहर अनाज और सब्जियों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन करती है। कम्पनी अपने अधिकृत उत्पादकों को मूल बीज देती है एवं उत्पादित बीज उनसे लेती है। बीजों का विक्रय वितरकों और विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी मुख्य रूप से अपने उत्पादों को बिहार व उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित सरकार द्वारा दिए गये विक्रय लक्ष्यों एवं रियायत के आधार पर किसानों को विक्रय करती है।

कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेखों (अप्रैल 2009 से मार्च 2014) की नमूना जाँच मार्च 2014 से जून 2014 के बीच यह जांचने के लिए की गयी कि क्या कम्पनी ने प्रमाणित बीजों के विपणन का कार्य मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से किया गया अथवा नहीं।

3.2.2 कम्पनी का विक्रय निष्पादन

अभिलेखों की समीक्षा प्रदर्शित करती है कि प्रमाणित गेहूँ के बीजों की बिक्री, जो वर्ष 2009-10 में 3.10 लाख कुन्तल थी, 2010-11 में बढ़कर 4.05 लाख कुन्तल हो गयी थी परन्तु इसके बाद 2013-14 में यह घट कर 2.63 लाख कुन्तल ही रह गयी। विवरण तालिका 3.2.1 में दर्शित है।

तालिका 3.2.1

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विक्रय (₹ करोड़ में)	60.35	88.35	84.55	87.63	70.48
स्वयं द्वारा उत्पादित गेहूँ का विक्रय (कुन्तल में) ¹⁹	2,97,417	3,15,358	3,49,664	3,65,550	2,63,507
गेहूँ का व्यापार (कुन्तल में)	12,617	89,806	31,841	शून्य	शून्य
गेहूँ का कुल विक्रय (कुन्तल में)	3,10,034	4,05,164	3,81,505	3,65,550	2,63,507

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

उपरोक्त विवरण दर्शाता है कि बीजों के विक्रय में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 30.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और तत्पश्चात् वर्ष 2010-11 के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में 34.96 प्रतिशत कमी आ गई। कम्पनी के बिक्री प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। इसके कारणों का विश्लेषण निम्नलिखित खण्डों में किया गया है:-

¹⁸ उत्पादन और प्रसंस्करण- अलीगढ़ और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), विपणन - बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि।

¹⁹ प्रमाणित बीज के रूप में बेचा गया मूल बीज (अतिरिक्त होने के कारण) सम्मिलित है।

3.2.2.1 उत्पादकों से असंसाधित बीजों का कम अन्तःग्रहण

अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में गेहूँ के अनुमानित उत्पादन 20.28 लाख कुन्तल एवं लक्षित उत्पादन 19.95 लाख कुन्तल के सापेक्ष वास्तविक अन्तःग्रहण²⁰ 15.45 लाख कुन्तल ही रहा। वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन के सापेक्ष 4.50 लाख कुन्तल कम रहा।

3.2.2.2 उत्पादकों के साथ अनुबन्ध का न किया जाना

कम्पनी बीजों की एक न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादकों के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं करती। किसी औपचारिक समझौते के अभाव में उत्पादक अपने द्वारा सहमत मात्रा की आपूर्ति कम्पनी को करने के लिए बाध्य नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप बीजों की बिक्री के विपथन की संभावना बनी रही।

कम्पनी ने कहा (अपैल 2014) कि वह बीज उत्पादन मौसम के शुरू होने से पहले अपनी भुगतान नीति की घोषणा करने के बाद ही उत्पादकों के साथ अनुबन्ध करने का निर्णय ले सकती है। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपने उत्पादकों के साथ किया गया समझौता बीज की न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अग्रिम भुगतान नीति की घोषणा करना कम्पनी की शक्तियों में ही निहित है।

3.2.2.3 क्षमता का विदोहन करने में कम्पनी की विफलता

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं बिहार की राज्य सरकारें अपने राज्यों में रियायती दर पर बीज विक्रय हेतु मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं और विक्रय पर उपदान का भुगतान करती हैं। दोनों राज्यों में बिक्री के लिए लक्षित मात्रा तथा उसके विरुद्ध वास्तविक विक्रय का वर्ष-वार विवरण तालिका 3.2.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2.2

(कुन्तल में)

वर्ष	बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत मांग	बीजों का विक्रय	कमी (प्रतिशत)
2010-11	3,77,231	3,02,179.00	75,052 (20)
2011-12	4,29,990	3,46,030.00	83,960 (20)
2012-13	4,18,800	3,15,333.40	1,03,467 (25)
2013-14	3,88,980	2,22,128.60	1,66,851 (43)
योग	16,15,001	11,85,671.00	4,29,330 (27)

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कम्पनी 2010-14 की अवधि में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 16.15 लाख कुन्तल बीज की कुल मांग के विरुद्ध केवल 11.86 लाख कुन्तल बीज की बिक्री ही कर सकी, अतः कम्पनी 4.29 लाख कुन्तल की अतिरिक्त बिक्री की मांग का विदोहन करने में विफल रही और इस प्रकार कम्पनी ने अपने लाभ में वृद्धि करने का अवसर खो दिया।

3.2.3 मूल्य निर्धारण ढांचा

3.2.3.1 कम्पनी द्वारा ₹ 73.27 लाख अतिरिक्त कमीशन का भुगतान।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के गेहूँ बीजों की कीमत संरचना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी द्वारा विक्रय मूल्य का निर्धारण कुल लागत, जिसमें वितरकों एवं विक्रेताओं को देय बिक्री कमीशन सम्मिलित है, पर किया

²⁰ उत्पादकों से प्राप्त असंसाधित बीज 17.44 लाख कुन्तल था। प्रसंस्करण के बाद, वास्तविक उत्पादन 15.45 लाख कुन्तल था।

गया था। वितरकों के साथ किए गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विक्रेताओं का कमीशन गोदाम से बाहर की दर पर जबकि वितरकों का कमीशन संयंत्र से बाहर की दर पर देय था।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 में कम्पनी द्वारा चार राज्यों²¹ में विक्रय किये गये गेहूँ के बीज की कीमत संरचना की नमूना जांच में पाया गया कि वितरक के कमीशन को बिक्री एवं वितरण व्यय के स्थान पर खरीद मूल्य के भाग के रूप में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप विक्रेता का कमीशन एवं किसान द्वारा देय खुदरा मूल्य दोनों ₹ 5.46 प्रति कुन्तल से ₹ 9.58 प्रति कुन्तल तक अधिक निर्धारित किया गया। फलतः विक्रेताओं को ₹ 73.27 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.2.1)।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

3.2.3.2 अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कम्पनी द्वारा उच्च दरों पर विक्रेता कमीशन का भुगतान

अनुबंध के खण्ड 19 के अनुसार वितरकों को उनकी अनुमानित मांग की पुष्टि हेतु 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जमा कराना आवश्यक था और कम्पनी केवल निश्चित मांग के सापेक्ष बीजों की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी थी। इसके अलावा, अनुबन्ध के खण्ड 15 के अनुसार विक्रेता कमीशन निश्चित मांग की बिक्री पर गोदाम से बाहर की दर का 10 प्रतिशत (जिसके लिए 10 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त था) की दर से और अनिश्चित मांग जिसके लिए कम्पनी को कोई भी अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं था, पर गोदाम से बाहर की दर का आठ प्रतिशत की दर से देय था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 16 वितरकों द्वारा ₹ 1,719.70 लाख के बीजों के क्रय हेतु ₹ 171.97 लाख का अग्रिम जमा किया गया। तथापि वितरकों ने ₹ 2,770.61 लाख²² के बीजों का क्रय किया। अतः अनुबन्धात्मक शर्तों के अनुसार विक्रेता कमीशन ₹ 1,257.80²³ लाख पर नौ²⁴ प्रतिशत की दर से और ₹ 1,512.81²⁵ लाख की बिक्री पर सात²⁶ प्रतिशत की दर से देय था। लेकिन देखा गया कि कम्पनी द्वारा ₹ 2,770.61 लाख की कुल बिक्री पर नौ प्रतिशत की दर से ही विक्रेता कमीशन का भुगतान किया था। अतः ₹ 29.59 लाख के विक्रेता कमीशन का अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.2.2)।

कम्पनी ने कहा (जून 2014) कि विक्रेता कमीशन की गणना ₹ 304.11 लाख के सापेक्ष ₹ 248.69 लाख का वास्तविक भुगतान किया गया है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक देय कमीशन ₹ 219.10 लाख ही था।

3.2.4 अग्रिम जव्त न करने के कारण ₹ 136.87 लाख की हानि

वितरकों के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वितरक 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करके बीजों की वांछित मात्रा आरक्षित कर सकता है। तत्पश्चात् यदि वितरक किसी भी स्थिति में आरक्षित मात्रा को नहीं उठाता है तो कम्पनी दोषी वितरक के जमा अग्रिम को जव्त कर लेगी।

²¹ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखण्ड।

²² ₹ 3818.36 लाख (कुल बिक्री) - ₹ 1,047.75 लाख (₹ 987.76+₹ 59.99) (उपदान और परिवहन छूट); = ₹ 2,770.61 लाख।

²³ ₹ 1,719.70 लाख (कुल आरक्षित बिक्री जिसके लिए 10 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त था) - ₹ 461.90 लाख उपदान और परिवहन छूट (₹ 433.90 लाख + ₹ 28.00 लाख)।

²⁴ कम्पनी द्वारा गणना के अनुसार खुदरा मूल्य का नौ प्रतिशत अर्थात् गोदाम से बाहर की दर का 10 प्रतिशत।

²⁵ कुल अनारक्षित बिक्री ₹ 2,098.66 लाख जिसके लिए 10 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त नहीं था - ₹ 585.85 लाख उपदान और परिवहन छूट (₹ 553.86 लाख + ₹ 31.99 लाख)।

²⁶ कम्पनी द्वारा गणना के रूप में खुदरा मूल्य का सात प्रतिशत अर्थात् एक्स-गोदाम दर का आठ प्रतिशत।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के लिए 15 वितरकों द्वारा 96,085 कुन्तल गेहूँ के बीजों के आरक्षण हेतु ₹ 295.10 लाख का अग्रिम जमा किया गया। तथापि, वितरक 48,360²⁷ कुन्तल बीजों को उठाने में विफल रहे। अन्ततः कम्पनी ने शेष मात्रा को घटे दरों पर विक्रय किया जिससे कम्पनी को ₹ 173.15²⁸ लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वितरकों द्वारा आनुपातिक जमा अग्रिम ₹ 136.87 लाख जव्त किया जाना चाहिए था। यह भी देखा गया कि निदेशक मण्डल (नि म) द्वारा अवशेष बीजों की मात्रा के उठान हेतु प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन करते हुए दोषी वितरकों की अग्रिम राशि को जव्त करने का निर्देश (जनवरी 2012) भी दिया गया था। इन निर्देशों के बावजूद कम्पनी द्वारा ₹ 136.87 लाख की अग्रिम जमा को जव्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यदि कम्पनी द्वारा ₹ 136.87 लाख अग्रिम को जव्त किया जाता तो घटे दरों पर बीज की बिक्री पर हुई हानि (₹ 173.15 लाख) को कम किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने प्रत्युत्तर में बताया कि कम्पनी वितरकों के विविध प्रकार के बीजों के मांग को पूरा नहीं कर सकी अतः वितरकों द्वारा जमा अग्रिम को जव्त नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध के खण्ड 21 (iii) के अनुसार वितरक द्वारा किसी भी स्थिति में आरक्षित मात्रा का उठान न करने पर कम्पनी सम्पूर्ण अग्रिम राशि को जव्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त वितरकों द्वारा अग्रिम जमा करते समय विविध प्रकार के बीजों की मांग का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2014); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

ऊर्जा विभाग

3.3 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रांसफॉर्मरों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, आन्तरिक लक्ष्य की तुलना में विभिन्न क्षमताओं के ₹ 121.99 करोड़ के मूल्य वाले 13,319 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुए तथा 151 ट्रांसफॉर्मर, जिनका मूल्य ₹ 1.03 करोड़ था, लाइटनिंग अरेस्टर न प्रतिस्थापित किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यू पी सी एल ने अपनी वर्कशॉप के अल्प उपयोग के कारण ₹ 63.23 लाख का अतिरिक्त व्यय किया तथा 509.31 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल, जिसकी कीमत ₹ 76.40 लाख थी, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से कम पाया गया।

3.3.1 परिचय

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य की ऊर्जा वितरण कम्पनी है जो राज्य के 13 जिलों में फैले 17.48 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है। यू पी सी एल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा प्रबन्धित ट्रांसमिशन ग्रिड के नेटवर्क से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा लम्बी

²⁷ बीजों का अग्रिम जमा करते के समय कम्पनी को वितरक द्वारा विविधता वार/मात्रा वार मांग की सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन उक्त की गणना लेखापरीक्षा द्वारा गेहूँ की प्रजाति (PBW -343, PBW -373, PBW -502 और PBW -550) जो कुल बिक्री का 80 प्रतिशत थे के अग्रिम जमा और गोदाम से बाहर की दर के आधार पर की गयी है।

²⁸ ₹ 100 × 18.575 कुन्तल (प्रोत्साहन राशि दिये जाने के कारण हुई हानि) + ₹ 518.97 × 29,785 कुन्तल (बीजों के मूल्यों में की गयी कमी के कारण हुई हानि) = ₹ 1,73,15,021।

दूरी से अति उच्च वोल्टेज पर संचारित होती है जो कि उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। यू पी सी एल इसी अति उच्च वोल्टेज ऊर्जा को कम वोल्टेज ऊर्जा में अपने ट्रांसफॉर्मरों की सहायता से परिवर्तित करता है जो कि यू पी सी एल की वितरण लाईनों से ट्रांसमिशन के पश्चात् सामान्य उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। वर्तमान में यू पी सी एल के पास इस उद्देश्य के लिए 0.57 लाख ट्रांसफॉर्मर हैं।

यू पी सी एल द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरों के प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए यू पी सी एल के मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच, 'आठ विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) और एक वर्कशॉप खण्ड'²⁹ के साथ ही पिटकुल की तीन संचालन एवं रखरखाव (सं एवं र) खण्डों³⁰ की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा मार्च 2014 से जुलाई 2014 के बीच की गई जिसकी अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

3.3.2 आवश्यकताओं का आकलन

यू पी सी एल के पास ट्रांसफॉर्मरों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई भी लिखित नीति नहीं है। एक लिखित नीति के अभाव में क्षेत्रीय इकाइयों के पास भविष्य में भार वृद्धि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली के विस्तार की गणना के लिए कोई भी निर्धारित दिशा निर्देश नहीं होते हैं। यू पी सी एल अपना आकलन पिछले उपभोग के आधार पर ही तैयार करता है जिससे राज्य में भविष्य में होने वाली मांग में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता है।

3.3.3 खरीद

ट्रांसफॉर्मरों की खरीद यू पी सी एल के कॉर्पोरेट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट स्कंध द्वारा सामग्री प्रबन्धन स्कंध की आकलित आवश्यकताओं के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विभिन्न क्षमताओं के 25,385 ट्रांसफॉर्मरों की कुल मांग के सापेक्ष यू पी सी एल ने मात्र 20,674 ट्रांसफॉर्मर क्रय किये।

3.3.3.1 ट्रांसफॉर्मरों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

यू पी सी एल ने 130, 400 के वी ए कॉपर वाऊण्ड ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमन्त्रित की (मई 2011)। यह पाया गया कि नौ फर्मों की निविदाओं का भाग-1 खोला गया (जुलाई 2011)। मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग को L-1 होने के कारण ₹ 1.41 करोड़ में 400 के वी ए के 50 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति का अनुबंध दे दिया गया (दिसम्बर 2011)।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि फर्म को 150 दिनों के भीतर 50 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति करनी थी किन्तु वह मात्र 35 ट्रांसफॉर्मरों की ही आपूर्ति कर सकी। इसने मार्च 2014 तक वांछित संख्या में ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति नहीं की। परिणामस्वरूप, यू पी सी एल को अगली निविदा प्रक्रिया में शेष 15 ट्रांसफॉर्मरों को उच्चतर दर पर क्रय करने पर ₹ 16.80 लाख³¹ के अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यू पी सी एल ने न तो आदेश ही निरस्त किया और न ही फर्म के विरुद्ध कोई कारवाई की।

²⁹ वि वि ख श्रीनगर, वि वि ख कोटद्वार, वि वि ख (दक्षिण) देहरादून, वि वि ख (ग्रामीण) हरिद्वार, वि वि ख काशीपुर, वि वि ख रुद्रपुर, वि वि ख बाजपुर, वि वि ख नई टिहरी तथा विद्युत कार्यशाला खण्ड देहरादून।

³⁰ 400 के वी सं एवं र काशीपुर, 132 के वी सं एवं र काशीपुर, 220 के वी सं एवं र पन्तनगर।

³¹ ₹ 16.80 लाख कम खरीद से हानि=₹ 1,12,000 सामग्री निर्गत मूल्य ₹ 3,94,000-विक्रेता मूल्य ₹ 2,82,000=₹1,12,000×15 (ट्रांसफॉर्मरों की संख्या)।

यू पी सी एल प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और बताया (जून 2014) कि अनुबंध का निरस्तीकरण व इस प्रकरण में अन्य कारवाई प्रगति पर है।

3.3.4 ट्रांसफॉर्मरों का रखरखाव

ट्रांसफॉर्मरों की लम्बी आयु व कुशल कार्यशीलता के लिए ट्रांसफॉर्मरों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है जिससे कि गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ट्रांसफॉर्मरों के रखरखाव में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाई:

3.3.4.1 ट्रांसफॉर्मरों के हिस्ट्री-कार्ड का रखरखाव न होना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उप-ट्रान्समिशन एवं वितरण परियोजना (उ ट्रा एवं वि प) के निष्पादन मूल्यांकन हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर के पूर्ण विवरण को शामिल करते हुए ट्रांसफॉर्मर के हिस्ट्री कार्ड का रखरखाव इसके निष्पादन की देखरेख व कार्यशील जीवन के निर्धारण हेतु आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी आठ वितरण खण्डों में ट्रांसफॉर्मरों के हिस्ट्री कार्ड का रखरखाव नहीं किया गया था। हिस्ट्री कार्ड के अभाव में यू पी सी एल के पास ट्रांसफॉर्मरों की वास्तविक आयु, कार्यक्षमता व मरम्मत के विवरणों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

3.3.4.2 ट्रांसफॉर्मरों का मानकों के सापेक्ष अधिक क्षतिग्रस्त होना

ट्रांसफॉर्मर वितरण नेटवर्क का मुख्य तत्व होते हैं तथा इसकी औसत आयु 25 वर्ष³² मानी जाती है। इसकी क्षतिग्रस्तता को कम करने के लिए यू पी सी एल को सावधानीपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं जैसे कि विस्तृत अनुश्रवण, क्षतिग्रस्तता के कारणों का निर्धारण करना, हिस्ट्री कार्ड्स का रखरखाव और लो टेंशन टर्मिनल को ग्रिपिंग टूल व कॉपर लग्न के साथ जोड़ना आदि। यद्यपि उत्तराखण्ड सरकार/यू पी सी एल ने ट्रांसफॉर्मरों की क्षतिग्रस्तता को दर्ज करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं तथापि यू पी सी एल ने प्रतिस्थापित क्षमता के तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष तक की क्षतिग्रस्तता का आन्तरिक लक्ष्य निर्धारित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- क्षतिग्रस्तता दर को तीन प्रतिशत पर निर्धारित करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था।
- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 121.99 करोड़ मूल्य के विभिन्न क्षमताओं के 13,319 ट्रांसफॉर्मर यू पी सी एल द्वारा निर्धारित आन्तरिक लक्ष्यों से अधिक खराब हुए। कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का प्रतिशत मानक तीन प्रतिशत से ज्यादा रहा तथा 12.88 से 13.40 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा।
- यह भी देखा गया कि कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में से 9,642 ट्रांसफॉर्मर 25 के वी ए क्षमता के थे जो कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का 55.43 प्रतिशत था।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान गारन्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होने वाले 20.15 प्रतिशत (3,007 में से 606) ट्रांसफॉर्मरों को ठेकेदार 60 दिनों की निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवा पाने में असफल रहा।

³² उप-पारेषण तथा वितरण उपकरण के लिए आर एण्ड एम तथा आर एल ए के लिए सी ई ए के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.3.4.3 यू पी सी एल के 33/11 के वी सब स्टेशनों में सुरक्षा उपकरणों में कमी

सब स्टेशनों से निकालने वाले वितरण फीडर को सर्किट ब्रेकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि आगे लाइन में कोई त्रुटि होने पर खुल जाता है, इस प्रकार केवल उस संभाग के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ चयनित खण्डों में से कोटद्वार खण्ड के (16 में से 15 सब स्टेशनों में) व देहरादून (दक्षिण) खण्ड के 21 में से सात फीडरों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की कमी से उपकरणों को खतरा एवं फीडरों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

3.3.4.4 असफल/क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को बदलने में देरी

क्षतिग्रस्त या जले हुए ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा जारी 'स्टैंडर्ड्स ऑफ परफार्मेंस' के अनुसार अनुज्ञप्ति धारी को मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटों के भीतर ट्रांसफॉर्मरों को बदल देना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नई टिहरी खण्ड में 361 असफल/जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को वर्ष 2013-14 के दौरान एक से 23 दिनों की देरी से बदला गया।

3.3.4.5 लाइटनिंग अरेस्टर का नहीं लगाया जाना

लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि आकाशीय बिजली को उचित अर्थिंग के द्वारा जमीन में भेज देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मरों तथा संबंधित लाइनों को आकाशीय बिजली से बचाने हेतु इसे लगाया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं की आवृत्ति ज्यादा होती है। लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लाइटनिंग अरेस्टर एल ए न होने की वजह से विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर एवं कोटद्वार में विभिन्न क्षमताओं के क्रमशः 22 तथा 151 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए जिसकी वजह से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3.3.4.6 ट्रांसफॉर्मरों के अवयवों की चोरी

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2010 से जनवरी 2014 के दौरान काशीपुर, बाजपुर एवं हरिद्वार (ग्रामीण) वि वि खण्ड के 16 ट्रांसफॉर्मरों के ₹ 35.76 लाख मूल्य के मुख्य भाग जिसमें क्वायल, कॉपर वाइडिंग, बुशिंग रॉड तथा ट्रांसफॉर्मर तेल थे, चोरी हो गए। उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में खण्डों द्वारा पुलिस को फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज करा दी गई किन्तु अब तक कोई भी अवयव बरामद नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खण्डों को स्थापित ट्रांसफॉर्मरों की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित ट्रांसफॉर्मरों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया।

3.3.5 ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत

3.3.5.1 यू पी सी एल की विभागीय वर्कशॉप का क्षमता से कम उपयोग

मानको के अनुसार, वर्कशॉप में प्राप्त कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों के 50 प्रतिशत की वर्कशॉप में ही मरम्मत होनी चाहिये। विद्युत वर्कशॉप खण्ड के पिछले पांच वर्षों के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 17,536 क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों में से केवल 5,684 ट्रांसफॉर्मरों की ही वर्कशॉप में मरम्मत की गई जो कि कुल

क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों का मात्र 32.41 प्रतिशत था। इस प्रकार, लक्ष्य की प्राप्ति में कुल 3,084 (35.17 प्रतिशत) ट्रांसफॉर्मरों की कमी रह गई। वर्कशॉप की क्षमता का कम उपयोग करने के कारण यू पी सी एल को ₹ 63.23 लाख (केवल श्रम लागत को लेते हुए) अतिरिक्त व्यय करना पड़ा क्योंकि मरम्मत बाहरी एजेन्सी द्वारा की गई।

3.3.5.2 ट्रांसफॉर्मरों के जले हुए तेल की कम प्राप्ति

मानकों के अनुसार, वर्कशॉप में लाये गये क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों से तेल टैंक की क्षमता के कम से कम 70 प्रतिशत अशुद्ध तथा जले हुए ट्रांसफॉर्मर तेल की प्राप्ति होनी चाहिये। विद्युत वर्कशॉप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-14 के दौरान 14,129 ट्रांसफॉर्मरों में से ₹ 76.40 लाख मूल्य का 509.31 किलो लीटर अशुद्ध तथा जला हुआ ट्रांसफॉर्मर तेल मानक के सापेक्ष कम प्राप्त हुआ। अशुद्ध तथा जले ट्रांसफॉर्मर तेल की कम प्राप्ति के कारण तथा किए गये सुधारात्मक उपाय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

3.3.6 क्षमता का भार से मिलान

3.3.6.1 क्षमता और भार में संतुलन न होना

यू पी सी एल के चयनित खण्डों के विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशन बिन्दुओं पर यू पी सी एल की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के असंतुलन के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों में संयोजित भार, वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से 1,526.36 एम वी ए से लेकर 1,994.18 एम वी ए की सीमा में ज्यादा था। आठ खण्डों की लेखापरीक्षा में भी यह पाया गया कि खण्डों में संयोजित भार वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से ज्यादा था।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान यू पी सी एल की वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता, उप केन्द्र विद्युत ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से 762.47 एम वी ए से 1,515.62 एम वी ए की सीमा में ज्यादा थी। वि वि ख रूद्रपुर, वि वि ख नई टिहरी, वि वि ख कोटद्वार व वि वि ख (दक्षिण) देहरादून की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन खण्डों में उप केन्द्र ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता, वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता से कम थी जिसके फलस्वरूप उप केन्द्र के ट्रांसफॉर्मर लगातार अधिभारित रहे। इसके अलावा, वितरण प्रणाली के निरन्तर अधिभारित रहने का दवाब ट्रांसमिशन नेटवर्क पर पड़ा जिसके फलस्वरूप पिटकुल के ट्रांसफॉर्मर भी अधिभारित रहे।

खण्डों के प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकारा तथा बताया कि 33/11 के वी सब स्टेशनों के अधिभारण की समस्या नये 33/11 के वी सब स्टेशन निर्मित होने पर तथा नये उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर स्थापित होने पर कम हो जायेगी। संदर्भित कार्यों का नियोजन 'रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम' (आर ए पी डी आर पी) में किया गया है। प्रबन्धन का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि आर ए पी डी आर पी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2009-10 में उस वक्त के भार को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी और तबसे भार में लगातार वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से प्रस्तावित क्षमता वृद्धि वर्तमान आवश्यकताओं से फिर भी कम रहेगी।

3.3.6.2 बेहतर भार प्रबन्धन के लिए बनी बेयों का उपयोग न होना

यू पी सी एल के एकल पोषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए पिटकुल ने 33 के वी बे का निर्माण किया जिसमें सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सी टी, लाइटनिंग अरेस्टर इत्यादि थे। इन बेयों की आवश्यकता किसी निश्चित क्षेत्र के भार को बाँटने हेतु भी होती है जिससे कि यू पी सी एल के एकल पोषकों को अधिभारित होने से बचाया जा सके। सं एवं र खण्ड पन्तनगर तथा काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पन्तनगर खण्ड के दो सब स्टेशनों में कुल 14 बेयों में से आठ बिना उपयोग के पड़ी थी। इसी प्रकार काशीपुर खण्ड के तीन सब स्टेशनों में 57 बेयों में से चार उपयोग में नहीं थी। इन 12 अप्रयुक्त बेयों का उपयोग बेहतर भार प्रबन्धन तथा असंतुलन कम करने के लिए किया जा सकता था।

3.3.6.3 वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति योजना (वि आ यो)

यू पी सी एल की वि आ यो वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान 1,637.65 एम वी ए भार वृद्धि की संभावना प्रकट करती है। प्रस्तावित भार वृद्धि तथा 1,994.18 एम वी ए³³ के वास्तविक अन्तर के सापेक्ष यू पी सी एल ने केवल 993.25 एम वी ए की वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वृद्धि प्रस्तावित की थी। राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्षेपित वृद्धि के साथ नेटवर्क की क्षमता में नियोजित वृद्धि का मिलान करने में अयोग्यता कमजोर नियोजन का परिचायक है तथा इससे संयोजित भार तथा वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के बीच अन्तर में वृद्धि होगी। यह प्रणाली पर निकट भविष्य में और दबाव डालेगा जिसके फलस्वरूप बार-बार ट्रिपिंग होगी तथा वितरण ट्रांसफॉर्मरों को नुकसान होगा।

3.3.6.4 फीडरों की ट्रिपिंग

ट्रिपिंग की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है जिससे कि निरन्तर गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति का उद्देश्य विफल होता है, ट्रांसफॉर्मरों का निरन्तर अधिभारित रहना ट्रिपिंग का एक मुख्य कारण है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 400 के वी सब स्टेशन, काशीपुर से नौ मुख्य फीडर³⁴ उदगमित होते हैं। इस सब स्टेशन में 315 एम वी ए (400/220 के वी) के दो ट्रांसफॉर्मर तथा 160 एम वी ए (220/132 के वी) के दो ट्रांसफॉर्मर थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान इन फीडरों पर कुल 282 ट्रिपिंग हुई। अधिकतम संख्या में ट्रिपिंग, जो कि 66 थी, ऋषिकेश लाईन में पाई गई। ट्रिपिंग की वजह से वितरण ट्रांसफॉर्मरों में खराबी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2014); उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2014)।

³³ (5,352 एम वी ए संयोजित भार - 3,357.82 एम वी ए वितरण रूपान्तरण की क्षमता) मार्च 2014 के आँकड़े।

³⁴ दो 400 के वी के पोषक, दो 220 के वी के तथा पाँच 132 के वी के।

3.4 12 प्रतिशत रॉयल्टी का दावा न किया जाना

यू पी सी एल की ओर से निः शुल्क विद्युत के रूप में रॉयल्टी लगाने के प्रयासों की कमी के कारण राज्य ₹ 3.91 करोड़ की 12 प्रतिशत निः शुल्क ऊर्जा (17.32 मिलियन यूनिट) से वंचित रहा।

उत्तराखण्ड सरकार (उ स) ने भीलांगना हाइड्रो पॉवर लिमिटेड (बी एच पी एल) नई दिल्ली, जो कि उत्तराखण्ड में स्थापित एक स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (स्व ऊ उ) है, के साथ विद्युत उत्पादन (24 मेगा वॉट) के लिए एक अनुबंध किया (जनवरी 2007)। अनुबंध की धाराएं 4.1.1, 4.2.1 व 4.2.2, जो कि उत्पादन कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन के निस्तारण के विकल्प का उपयोग करने तथा उत्पादन कम्पनी पर भारित निः शुल्क ऊर्जा के रूप में रॉयल्टी से सम्बन्धित है, को **परिशिष्ट 3.4.1** में दी गयी है:

यू पी सी एल एवं ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) के अभिलेखों की जांच (क्रमशः जून 2013 एवं मार्च 2014) से प्रकट हुआ की बी एच पी एल ने टाटा पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (टी पी टी सी एल), जो कि राज्य के बाहर स्थित है, के साथ विद्युत उत्पादन के लिए एक अनुबंध किया। तथापि, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने बी एच पी एल को अपना उत्पादन राज्य से बाहर के व्यापार अनुज्ञप्तिधारक को बेचने की अनुमति नहीं दी जिसके विरुद्ध बी एच पी एल ने 'विद्युत विक्रय हेतु अपील अधिकरण' में मुकदमा दायर कर दिया। अपील अधिकरण ने बी एच पी एल के पक्ष में निर्णय दिया (जनवरी 2011) तथा विद्युत विक्रय हेतु ओपेन एक्सेस (छूट) प्रदान की। बी एच पी एल द्वारा राज्य के बाहर एक व्यापारिक कम्पनी (टी पी टी सी एल) को की गई इस प्रकार की ऊर्जा की बिक्री, क्रियान्वयन अनुबंध की धारा 4.2.1 (ii) के अन्तर्गत आती है क्योंकि यह बिक्री किसी ऐसे उपभोक्ता को की गयी है जो कि धारा 4.1.1 के अन्तर्गत नहीं आता है एवं इसके आधार पर इस बिक्री पर सी ओ डी³⁵ के पश्चात् प्रथम 15 वर्षों के लिए शुद्ध पारेषित ऊर्जा या प्रदेय ऊर्जा के 12 प्रतिशत की दर से 'निःशुल्क ऊर्जा के रूप में रॉयल्टी' का आरोपण होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था (मई 2007) कि रॉयल्टी ऊर्जा यू पी सी एल द्वारा ली जानी चाहिए तथा रॉयल्टी ऊर्जा का माहवार विवरण, जमा की गयी धनराशि के चालान की प्रति के साथ उत्तराखण्ड सरकार को भेजा जाए। बी एच पी एल ने पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में एक प्रारम्भिक ओपन एक्सेस प्रार्थनापत्र दायर किया क्योंकि उसने उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के विद्युत व्यापारी को विद्युत के विक्रय हेतु समझौता किया था एवं उसने यू पी सी एल से भी प्रार्थना की कि वह उपरोक्त रॉयल्टी ऊर्जा हेतु ओपन एक्सेस प्रार्थना पत्र दायर करे ताकि एकीकृत ऊर्जा निकास का नियोजन किया जा सके। रॉयल्टी संग्रह करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार के स्पष्ट निर्देश एवं इस सम्बन्ध में एकीकृत ऊर्जा निकास प्रणाली के सृजन हेतु बी एच पी एल की प्रार्थना के बावजूद भी यू पी सी एल शुद्ध पारेषित ऊर्जा के 12 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का संग्रह करने में विफल रहा। बी एच पी एल ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 23.12.2011 को प्रारम्भ कर

³⁵ सी ओ डी - वाणिज्यिक उत्पादन तिथि।

दिया एवं दिसम्बर 2013 तक शुद्ध पारेषित ऊर्जा पर प्रभारित रॉयल्टी 17.32 मिलियन यूनिट आगणित हुई जिसका मूल्य ₹ 3.91 करोड़ था। इस प्रकार, यू पी सी एल की ओर से देय रॉयल्टी का दावा करने में विफलता से राज्य ₹ 3.91 करोड़ की निःशुल्क ऊर्जा से वंचित रहा।

यह इंगित करने पर, यू पी सी एल प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों (दिनांक 25.05.2014) के अनुसार 12 प्रतिशत रॉयल्टी वसूल करने का दायित्व पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का है। साथ ही, यू पी सी एल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यू पी सी एल मै. बी एच पी एल से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहा है।

यू पी सी एल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने प्रारम्भ में ही अपने आदेश दिनांक 07.05.2007 के द्वारा बी एच पी एल से रॉयल्टी वसूल करने का दायित्व यू पी सी एल का ही निर्धारित किया था। साथ ही, मै. बी एच पी एल ने यू पी सी एल से ही रॉयल्टी ऊर्जा वसूलने हेतु प्रार्थना की (अक्टूबर 2007)। इस प्रकार, यू पी सी एल के मै. बी एच पी एल से 12 प्रतिशत रॉयल्टी वसूल करने के उत्तरदायित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी बताना आवश्यक है कि उत्तराखण्ड में प्रचलित औद्योगिक प्रथा के अनुसार, यू पी सी एल नियमित रूप से उत्तराखण्ड सरकार की ओर से उन ऊर्जा उत्पादकों से भी 12 प्रतिशत रॉयल्टी ऊर्जा वसूल कर रहा है, जिन्होंने उत्तराखण्ड की ट्रांसमिशन कम्पनी के अलावा अन्य ट्रांसमिशन कम्पनियों के साथ ट्रांसमिशन अनुबन्ध किया है। तथापि, उत्तराखण्ड सरकार ने ऊर्जा प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड को मै. बी एच पी एल के विरुद्ध 12 प्रतिशत रॉयल्टी ऊर्जा न दिये जाने पर वैधानिक कारवाई करने का निर्देश दिया (मई 2014) जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति सिद्ध होती है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया कर दिया गया (मार्च 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

3.5 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार का आरोपण न करके यू पी सी एल ने उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय जापन (106, जनवरी 2006) के अनुसार एक स्वतंत्र फीडर से समान प्रकृति के औद्योगिक प्रक्रिया वाले समान उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मई 2010 से यू पी सी एल द्वारा उद्योगों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति के लिए वास्तविक विद्युत मूल्य पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिभार भारित किया जाता है।

विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2014) में पाया गया कि:

- उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए, यू पी सी एल ने पूर्व में ही निर्मित 33 के वी स्विचिंग सब स्टेशन /स्वतंत्र फीडर, जो कि कागज उद्योग³⁶ की अन्य तीन निजी इकाइयों को विद्युत उपलब्ध करा रहा था; से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले उपभोक्ता को 4,000 के वी ए का कनेक्शन (नवम्बर 2008) जारी कर दिया।
- निरन्तर विद्युत आपूर्ति पाने के लिए सभी कागज उद्योग उपभोक्ता अपने मासिक विद्युत देय पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान कर रहे थे। जबकि संबंधित उपभोक्ता बिना अतिरिक्त अधिभार का भुगतान किए ही यह लाभ उठा रहा था क्योंकि वह निरंतर विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ता की तरह वर्गीकृत नहीं था।
- स्विचिंग सब स्टेशन/स्वतंत्र फीडर, जिससे सभी कनेक्शन जारी किए गए थे, में अविरल तथा अनाविरल कनेक्शनों में अंतर करने की कोई प्रणाली नहीं थी, उपभोक्ता के स्वतंत्र फीडर से जुड़े होने की वजह से वह अविरल विद्युत आपूर्ति का लाभ उठा रहा है तथा इसी लिए उस पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भारित होना चाहिए। इस प्रकार राजस्व का परित्याग कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया गया जो कि ₹ 2.12 करोड़³⁷ (मई 2010 से मार्च 2014) होता है।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि उचित पृथक पहचान एवं मीटरिंग प्रणाली के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं के उपभोक्ताओं को एक स्विचिंग सब स्टेशन से कनेक्शन जारी करना अनुचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में रोस्ट्रिंग होने पर उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति लाइनमैन द्वारा स्वयं ही काट दी जाती थी तथा उपभोक्ता के विद्युत कटौती के बिन्दु को साबित करने के लिए लोड सर्वे तथा एम आर आई³⁸ रिपोर्ट की सीडी भी उपलब्ध कराई गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि असमान उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी करना उपरोक्त नियम का उल्लंघन था। रोस्ट्रिंग के घंटों के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा विद्युत कटौती करने के अपने दावे को भी साबित करने के लिए यू पी सी एल किसी विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने यू पी सी एल के रोस्ट्रिंग विवरण को सीडी में उपलब्ध डाटा से मिलान किया एवं पाया कि उक्त उपभोक्ता की उन दिनों में विद्युत आपूर्ति नियमित रही है जब उस क्षेत्र के अनाविरल उद्योगों की विद्युत रोस्ट्रिंग निर्धारित थी।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

3.6 परिहार्य हानि

उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने में हुई देरी के कारण ₹ 1.15 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

ई एस आई अधिनियम अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था करता है कि यदि सरकार चाहे तो ई एस आई सी के परामर्श और सरकारी राजपत्र की अधिसूचना के आधार पर किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान को ई एस आई सी निधि

³⁶ मै. फाइबर मार्क्स पेपर लिमिटेड (4,000 के वी ए), मै. विश्वनाथ पेपर (3,000 के वी ए), मै. कात्यानी पेपर मिल (3,000 के वी ए)।

³⁷ 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार=₹ 14.13 करोड़ मई 2010 से मार्च 2014 तक की अवधि का विद्युत मूल्य = ₹ 14.13 करोड़ × 15/100 = ₹ 2.12 करोड़।

³⁸ मीटर रीडिंग उपकरण द्वारा स्वयं उत्पन्न प्रतिवेदन।

में योगदान करने से छूट प्रदान की जा सकती है यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को इस योजना के तहत प्रदान लाभ के समान या बेहतर लाभ प्राप्त हो रहा है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (यू टी सी) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जनवरी 2014) से यह प्रदर्शित होता है कि निगम चिकित्सा भत्ते के रूप में अपने प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह ₹ 30 का भुगतान करता है और कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार पर किए गये खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करता है। यह सुविधा ई एस आई सी के द्वारा दिए गये प्रावधानों के समतुल्य थी। लेखापरीक्षा में प्रदर्शित होता है कि ई एस आई अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट यू टी सी (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) के लिए प्राप्त थी परंतु यू टी सी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित छूटों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया जब यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अलग हुआ (अक्टूबर 2003)। परिणामस्वरूप ई एस आई सी ने यू टी सी के खातों को जब्त कर लिया और इसकी चार कार्यशालाओं (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की और हल्द्वानी) से ई एस आई सी के योगदान के रूप में ₹ 1.15 करोड़ वसूल लिए (दिसम्बर 2005 से मार्च 2010)। पूर्वव्यापी प्रभावों के साथ यू टी सी ने बाद में 31 अक्टूबर 2003 से 12 अक्टूबर 2009 (मार्च 2010 में) तथा अन्य अवधि, 13 अक्टूबर 2009 से 12 अक्टूबर 2010 (अक्टूबर 2009) और 5 फरवरी 2013 से 4 फरवरी 2016 तक (फरवरी 2013) ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगातार छूट प्राप्त की है। परन्तु ई एस आई ने यू टी सी से वसूल किए गये ₹1.15 करोड़ राज्य सरकार की किसी भी अधिसूचना के अभाव में वापस करने से मना कर दिया। इस प्रकार यू टी सी द्वारा ई एस आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने की देरी के कारण ₹ 1.15 करोड़ की परिहार्य हानि वहन करनी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2014) कि ई एस आई सी के साथ धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पत्राचार किया जा रहा है और मामला राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कि ई एस आई द्वारा पूर्व में वसूल की गई राशि को वापस करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त 13 अक्टूबर 2010 से 04 फरवरी 2013 तक की अवधि के लिए छूट सम्बन्धी अधिसूचना आज तक (अप्रैल 2014) जारी नहीं की गई है जो ई एस आई अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को आमंत्रित करती है।

प्रकरण सरकार को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2014)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7 बकाये की वसूली न होना

सेवाएं प्रदान करने से पहले समझौता नहीं करने के कारण उत्तराखण्ड परिवहन निगम उत्तर पूर्व रेलवे को प्रदत्त सेवाओं के बदले में प्राप्य धनराशि ₹ 27.93 लाख वसूल नहीं कर सका।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ प नि) अपने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ प्र रा स प नि) और उत्तर पूर्व रेलवे (उ पू रे) के मध्य जून 1968 में किए गए एक समझौते के अनुपालन में काठगोदाम और रानीखेत/नैनीताल के मध्य, तथा इसके विपरीत भी, उ पू रे के यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान करता था। समझौते की शर्तों के अनुसार, उ पू रे अपने यात्रियों को प्रदान की गई सेवाओं के समस्त दावों का भुगतान, दावों को प्राप्त करने की तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर कर देता था। उत्तर प्रदेश के विभाजन पर, उ प नि का गठन अक्टूबर 2003 में किया गया था।

संभागीय प्रबंधक (संचालन) उ प नि, नैनीताल क्षेत्र के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) से प्रदर्शित होता है कि उ पू रे द्वारा यात्रियों और उनके सामान के बिलों का भुगतान अक्टूबर 2004 तक किया गया है। नवम्बर 2004 से उ पू रे ने इस आधार पर भुगतान करने से इन्कार कर दिया कि (मार्च 2008) उ प नि अक्टूबर 2003 से अस्तित्व में आया और उ प नि द्वारा कोई समझौता उ पू रे के साथ नहीं किया गया। उ प नि ने किसी भी समझौते के बिना और पहले से प्रस्तुत बिलों के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि प्राप्त किए बिना फरवरी 2008 तक उ पू रे को सेवा प्रदान करना जारी रखा। उ प नि ने मार्च 2008 में अपनी सेवाएं बंद कर दीं और नवम्बर 2004 से फरवरी 2008 तक इसकी सेवाओं के कुल दावे ₹ 27.93 लाख थे। मामला लंबित है और उ प नि के किसी भी दावे की प्रतिपूर्ति उ पू रे द्वारा नहीं की गई है।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2014) कि लंबित बिलों के भुगतान के लिए उ पू रे के साथ निरंतर पत्राचार किया जा रहा है और उ पू रे बिलों का भुगतान करने के लिए सहमत था। तथ्यों से प्रदर्शित है कि राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2014), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।




(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

देहरादून

दिनांक: 06 अप्रैल 2015

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 07 अप्रैल 2015